(17) 126

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0 मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2185–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–5–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक–485/अपील/2013–14.

.....

तौहीद अली तनय अहमद अली
निवासी महाडाड़ी तहसील गढ़ जिला रीवा म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1. महबूब अली
2. मुख्तार अली
3. सरकार अली
4. अफसर अली पुत्रगण बरकत अली

निवासी महाडाड़ी तहसील गढ़ जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री सुशील तिवारी एवं श्री प्रमोद मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 24/01/2019 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0प्र0 के आदेश दिनांक 21–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने ग्राम महाडाड़ी स्थित भूमि खसरा कमांक 262 रकवा 0.164 है0 व 191/2 रकवा 0.020 है0 की भूमि के खसरा सुधार सबंधी आवेदन तहसीलदार गुढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 30–9–2013 के द्वारा अनावेदकगण का आवेदन निरस्त किया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ जिला रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक

08–5–2014 से अपील खारिज की। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 21–5–2015 से अपील स्वीकार की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण ने ग्राम महाडाड़ी स्थित भूमि खसरा कमांक 262 रकवा 0.164 है0 व 191/2 रकवा 0.020 है0 की भूमि के खसरा सुधार सबंधी आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। संहिता की धारा 115/116 के तहत इंद्राज सुधारने की समय–सीमा दी है। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने बटवारे के पूर्व स्वत्व तथा राजस्व इंद्राज किस प्रकार परिवर्तित हुए इस कपर ध्यान नहीं दिया। अपर आयुक्त ने पूर्व स्वतत्व का हवाला देकर इंद्राज सुधारने का आदेश दिया है। वस्तुत सभी न्यायालय ने यह नहीं देखा कि मूल व्यक्ति से भूमि कैसे–कैसे परिवर्तित हुई तथा खसरा इंद्राज यदि है तो सुधारने की समय–सीमा तथा सक्षम अधिकारिता पर भी विचार नहीं किया। सभी निर्णय परीक्षण करें तथा माननीय व्यवहार न्यायालय के निर्णय पर भी ध्यान दिया। अतः सभी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः सभी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसीलदार गुढ़ को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मूल व्यक्ति से भूमि परिवर्तन के ~~स्वत्व तथा~~ आधार पर विचार करें तथा उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर राजस्व रिकार्ड एवं माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश पर ध्यान देकर पूर्ण परीक्षण उपरांत वैधानिक आदेश पारित करें।

24/01/2019.

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर